कार्यालय अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष न.–07662–241655 ई–मेल–deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स न.– 07662–251167 वेबसाइट–www.ssmcrewa.com

क्रमांक / छात्र / एम.सी. / 2025 / 28773 रीवा, दिनांक 10/11/25

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)।

विषयः– **नीट पी.जी 2025** की काउसलिंग में कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम **एंव मोबाईल** नंबर की सूची प्रेषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालय आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक / पी.जी / 4 / प्रवेश / संचिशि / 2025 भोपाल, दिनांक 08.11.2025

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि, नीट पी.जी 2025 की काउंसलिंग में कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम एंव मोबाईल नंबर की सूची निम्नानुसार है–

स. क्रमांक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	मोबाईल नंबर
1.	डॉ. नीरा मराठे, प्राध्यापक, कम्यूनिटी मेडीसिन	7999836769
2.	डॉ जगन्नाथ जाटव, सह – प्राध्यापक, पैथॉलोजी विभाग	8770589210
3.	डॉ. सुशील कुमार वर्मा, प्रदर्शक, पैथॉलोजी विभाग	9893323222
4.	डॉ. अर्जुन सिंह परमार, प्राध्यापक (नामित), एनाटामी विभाग	9977013978
5.	डॉ. वेदिका राठौर, सह–प्राध्यापक (नामित), बायोकेमिस्ट्री	9713555241
6.	डॉ. अंशुमान शर्मा, सह– प्राध्यापक ,(नामित) कम्यूनिटी मेडिसीन विभाग	9893220093
7.	श्री हिरदेश सिह बैस, रिकार्ड क्लर्क, छात्र शाखा	7000810767
8.	श्री हेमंत येडे, कम्पयूटर ऑपरेटर, छात्र शाखा	9406767581
9.	श्री शिवम कुम्हार, रिकार्ड क्लर्क, छात्र शाखा	9399414055
10.	श्री धर्मेन्द्र गौतम, कोडिंग क्लर्क, छात्र शाखा	7024761175
11.	श्री मुकेश परसाई, कैटॉलोगर	9131029495

अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

हिरदेश सिंह बैस
प्रभारी लिपिक, छात्र शाखा (पी०जी०)

डॉ० वेदिका
सहा० प्रभारी अधिकारी
छात्र शाखा (पी०जी०)

Document Check List For Neet PG Counselling 2025

S.N.	Documents
01.	NEET online registration receipt with photo
02.	Admit Card issued by NBE
03.	Result and/or Rank letter issued by NBE
04.	Provisional Seat Allotment Letter
05.	M.P. online registration receipt (For State Quota)
06.	Relieving Letter from previous institute *(if re-allocated)*
07.	High School Mark sheet and/or Certificate (Proof of date of birth)
08.	Higher Secondary School Mark sheet and/or Certificate
09.	Mark Sheets of MBBS (All Prof.)
10.	Internship Completion Certificate / Certificate from the Head of Institution of College that the candidate will be completing the Internship by 31.07.2025
11.	MBBS Degree Certificate (Permanent / Provisional)
12.	Medical Registration Certificate (Permanent / Provisional) issued by MCI / State Medical Council
13.	NOC for Rural Service after MBBS *(if MBBS passed from Medical College of MP)*
14.	Migration Certificate
15.	Domicile Certificate *(for state quota counselling)*
16.	Caste Certificate issued by the competent authority (in the format as specified in the NEET PG 2025 Bulletin) (if applicable) (certificate without specified format is not considered)
17.	Income Certificate of current financial year (if applicable for OBC & EWS candidate)
18.	NOC / Sponsorship Certificate *(for in-service candidate)*
19.	Person with Disability (PwD) Certificate issued from a duly constituted and authorized Medical Boards (in the format as specified in the NEET PG 2025 Bulletin) (if applicable) (certificate without specified format is not considered) (show original UDID & submit photocopy)
20.	Gap Affidavit *(if applicable) (on Rs. 100/- non-judicial stamp)*
21.	Proforma – 6 (Affidavit regarding not obtained domicile certificate other than M.P.) *(for state quota counselling) (on Rs. 200/- non-judicial stamp)*
22.	Proforma – 7 (Affidavit regarding Strike, Stipend, professional, etiquette and ethics)) *(on non-judicial stamp of Rs. 200/-)*
23.	Affidavit regarding application of registration in Madhya Pradesh Medical Council (MPMC) within 1 month of admission *(if not registered in MPMC) (on non-judicial stamp of Rs. 100/-)*
25.	Proforma – 2(क), Seat Leaving Bond Affidavit *(on non-judicial stamp of Rs. 15000/-)*
24.	Proforma – 2(ख), Bond Affidavit *(on non-judicial stamp of Rs. 5,000/-) for open candidate / Rs. 25,000/ for in-service candidate)*
26.	20 Colour Passport Photographs *(same Photographs used during NEET PG Application)*

प्रारूप–7

//वचन पत्र//

(स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश के समय रू. 200/के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मैं,..पुत्र/पुत्री.. .नीट एम0डी0/एम0एस0 वर्ष.........................रोल नंबर............................शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधनों का भली–भाँती अध्ययन कर समझ लिया गया है।
2. मुझे शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड (यदि लागू हो) का संज्ञान है, एवं मैं उक्त निर्धारित शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड से सहमत हूँ।
3. मैं सदैव IMC Regulation 2002 (professional, etiquette and ethics) का पालन करूंगा/करूंगी एवं पाठयक्रम की अवधि में किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता, रेगिंग एवं अन्य अनुशासनहीनता से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता नहीं होगी। मैं किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहूंगा/रहूंगी एवं किसी भी हड़ताल (Strike) में शामिल नहीं होऊंगा/होऊंगी। संलिप्तता पाये जाने पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 17 (3) के अन्तर्गत मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
4. मैं शासन के विधि द्वारा स्थापित समस्त अधिनियम तथा समय–समय पर जारी समस्त कार्यपालिक निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।

वचनग्रहीता

मेरे द्वारा वचनपत्र में दी गई समस्त जानकारी सही एवं सत्य है जिसका सत्यापन आज दिनांक .... को स्थान .... में मेरे द्वारा सत्यापन किया गया।

वचनग्रहीता

(1) गवाह :–
नाम..
पता..
मोबाईल नंबर.........................

(2) गवाह :–
नाम..
पता..
मोबाईल नंबर.........................

(3) पिता/अभिभावक का नाम – ....
पता ....
मो.नं..
ईमेल..

(प्रारूप-6)

नोटराइज्ड शपथ-पत्र

(रूपये 200 के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

<u>मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी / मूल निवासी अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाने वाला शपथ-पत्र</u>

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री..निवासी................ ....मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविघालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र .... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018, संधोधन 19 जून 2019, संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, 10 मई 2023, संशोधन 02 जुलाई 2024 तथा 3 सितम्बर 2025 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।

मैं शपथ पूर्वक यह कथन करता / करती हूं कि मैनें अन्य राज्य से स्थानीय निवासी / मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, एवं मैने अन्य किसी राज्य से स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का लाभ प्राप्त नहीं किया है । मैनें यह भली भांति समझ लिया है कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा एवं मेरे विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

नाम-..................

पता-.....................

दिनांक-..................

Proforma

Gap Affidavit

(on Rs. 100/- non-judicial stamp)

I, Dr. ....

s/o, d/o, w/o .... Age .... years,

resident of ....

do hereby stat and solemnly declare on affirmation as under...

1. I say that, I have passed my M.B.B.S. Examination from .... Medical College .... in .... *(month and year)* and completed internship on .... *(day, month and year).*
2. I say that, after completion of internship, I had not joined any institute for any kind of education as a regular student. As such there is a gap of .... *(year & month)* in my educational carrier from .... to ....
3. I am searing this affidavit in order to produce the same before the concerned education authority to enable them to condone my said gap period and grant me admission for NEET PG 2025 for academic session 2025-26 on the strength of this affidavit.

Verification

Whatever stated above from point no. 1 – 3 by me, are true and correct to the best of my knowledge and belief. If found anything false / incorrect, I am liable for any legal action.

Solemnly affirmed at ....

On Date ....

Witness

(Sign., Name, Address & Mobile No.)

Deponent

(Sign. & Name)

Note:- You can make some changes according to your gap and educational qualification

Proforma

Affidavit for Registration in MPMC

(on Rs. 100/- non-judicial stamp)

I, Dr. ....

s/o, d/o, w/o .... Age .... years,

resident of ....

do hereby stat and solemnly declare on affirmation as under...

1. I say that, I have passed my M.B.B.S. Examination from .... Medical College .... in .... *(month and year)* and completed internship on .... *(day, month and year).*
2. I have done my provisional / permanent medical registration from .... medical council ....*(place of council)* and my provisional / permanent medical registration no. is .... Dated ....
3. I say that, within 1 month of admission, I will apply for registration in Madhya Pradesh Medical Council (MPMC) and will submit receipt of application of registration / copy of registration to this institute.

Verification

Whatever stated above from point no. 1 – 3 by me, are true and correct to the best of my knowledge and belief. If found anything false / incorrect, I am liable for any legal action.

Solemnly affirmed at ....

On Date ....

Witness

(Sign., Name, Address & Mobile No.)

Deponent

(Sign. & Name)

प्रारूप–2(क)

(अनुसूची–3–11 (i) स्नातकोत्तर पाठयक्रम हेतु)

(चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

सीट लिविंग बॉण्ड

फोटो

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र......... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई 2023, संशोधन 02 जुलाई 2024 तथा संशोधन 03 सितम्बर 2025 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3– मैं एतदद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

अ मैं चिकित्सा (MD/MS) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठयक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।

ब यह कि, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 (संशोधन 02 जुलाई 2024) में उल्लेखित नियम 15 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठयक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित **शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय** की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि एमडी/एमएस पाठ्यक्रम के लिये रू0 3**0,00,000**/– (रू0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ । निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की स्थिति में त्याग पत्र दिये जाने/निष्कासन पर पाठयक्रम की पूर्ण अवधी/ शेष अवधि के शैक्षणिक शुल्क का भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

स यह कि सीट लीविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेंगें।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1....................................

2....................................

प्रारूप–2 (ख)

(अनुसूची–3–11 (ii) स्नातकोत्तर पाठयक्रम हेतु)

(चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

फोटो

ग्रामीण सेवा बॉण्ड

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र.......... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई 2023 संशोधन 02 जुलाई 2024 तथा संशोधन 3 सितम्बर 2025 को भलीभांति पढकर समझ लिया है।

3– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

अ– मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर ((MD/MS) पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

ब– **गैर सेवारत अभ्यर्थी –ग्रामीण सेवा की** विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री हेतु एक वर्ष होगी एवं बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रू0 10 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

स– शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संबंधित संस्था के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा। निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के नाम पर निष्पादित करना होगा।

द– **सेवारत अभ्यर्थी– ग्रामीण सेवा की** विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम हेतु पांच वर्ष की होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रू0 50 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

ध– लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सेवारत अभ्यर्थी को पाठयक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी। बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर बॉण्ड राशि रूपये 50 लाख जमा करने होंगे।

च– यह कि ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1......................................

2......................................

फोटो

प्रोफार्मा –2 (संशोधित)

(अनुसूची–3–11 (i) & (ii) स्नातकोत्तर पाठयकम हेतु)

सीट लीविंग बाण्ड एवं ग्रामीण सेवा बाण्ड शपथ पत्र

(रू. 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)

(Proforma for whose candidate, who wants to participate in Next Round of Counselling)

1. मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी ....मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यकम में शैक्षणिक सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।
2. मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018, संशोधन दिनांक 19 जुन 2019, संशोधन दिनांक 05 अक्टूबर 2021, संशोधन दिनांक 26 जुलाई 2022, संशोधन दिनांक 10 मई 2023, संशोधन दिनांक 02 जुलाई 2024 तथा संशोधन दिनांक 03 सितम्बर 2025 को भली भांति पढ़ तथा समझा लिया है।
3. मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

सीट लिविंग बॉण्ड

अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यकम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठयकम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।

ब. यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के नियमानुसार विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठयकम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में **सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन** किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित **शासकीय चिकित्सा/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय** की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बॉण्ड राशि रू0 30,00,000/–(रू0 तीस लाख) **भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ** अथवा निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिये जाने पर संबंधित संस्था में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देय होगा।

स. यह कि सीट लिविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज मुझे वापस नहीं किये जायेंगे।

ग्रामीण सेवा बॉण्ड

अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यकम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

ब. **गैर सेवारत अभ्यर्थी –** ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यकम हेतु एक वर्ष होगी एवं बाण्ड के अंतर्गत सेवा न करने की स्थिति में डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रू0 10 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता हूं।

स. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बाण्ड संबंधित संस्था के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा।

द. **सेवारत अभ्यर्थी –** ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पांच वर्ष होगी एवं बाण्ड के अंतर्गत सेवा न करने की स्थिति में डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रू0 50 लाख शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता हूं।

ध. चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत् सेवारत् अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् पांच वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी। बाण्ड के अंतर्गत पांच वर्ष की सेवा न करने पर बाण्ड राशि रू. 50 लाख जमा करने होंगे।

च. यह कि, ग्रामीण सेवा बाण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जावेंगे।

सत्यापन

मैं वचन देता हूं कि अगले चरण की काउंसलिंग में रिएलोकेट नहीं होने की स्थिति में –

1. **गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिये** – ग्रामीण सेवा बॉण्ड जो कि रू. 10 लाख निर्धारित है का 0.5 प्रतिशत अर्थात रू. 5000/– मात्र के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र निष्पादित करूंगा।

अथवा

सेवारत अभ्यर्थियों के लिये – ग्रामीण सेवा बॉण्ड जो रू. 50 लाख निर्धारित है का 0.5 प्रतिशत अर्थात रू. 25000/– मात्र के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र निष्पादित करूंगा।

2. सीट लीविंग बाण्ड राशि समस्त पाठ्यक्रमों एवं अभ्यर्थियों हेतु रू. 30 लाख हैं, स्टाम्पित शपथ पत्र सीट लीविंग बाण्ड हेतु रू. 15 हजार (रू. 30 लाख 0.5 प्रतिशत) के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित करूंगा।

यह कि ग्रामीण सेवा बाण्ड एवं सीट लीविंग बाण्ड स्टाम्पित शपथ पत्र समय–सीमा में प्रस्तुत ना करने की स्थिति में इस चिकित्सा महाविद्यालय से मेरा प्रवेश अधिष्ठाता द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह (हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल नम्बर) :–

1.....................................

2.....................................

S. S. Medical College, Rewa (M.P.)

Account Detail for Fee Transfer

A/C. Holder Name	**CEO & Dean, SSMC Rewa (M.P.)**
A/C. No.	**0491022100000014**
IFS Code	**PUNB0623900**
Branch	**Medical College, Rewa**

S. S. Medical College, Rewa (M.P.)

Fees Structure

MD / MS Admission – 2025

Fees For	Amount (Rs.)
Tuition Fees	1,00,000/- per annum
Student Fund	1,500/- per annum
Security Deposit	**10,000/- one time** (refundable without interest after completion of course)
Caution Money	**3,000/- one time** (refundable without interest after completion of course)
Library fees	2,000/- per annum
University Affiliation Fees (MPMSU Jabalpur)	6,000/- Per Annum
Total (Rs.)	**1,22,500/-** **(One lakh Twenty Two Thousand five hundred only)**

Note: Other university charges (as applicable) to be paid by students, directly to university.

All India Candidate	State Candidate
Fees of **Rs. 1,22,500/-** to be submitted in the form of bank chalan payable at PNB medical college Rewa Branch (Through Online/ cash/ multicity cheque/demand draft/PNB acount holder of that Branch)	• Fees of **Rs. 1,14,500/-** to be submitted Online on DME MP Online Portal after generation of document verification slip. • Fees of **Rs. 8,000/-** to be submitted in the form of bank chalan payable at PNB medical college Rewa Branch (Through Online/ cash/ multicity cheque/demand draft/PNB acount holder of that Branch)

- **Hostel Fees (optional) :- Rs. 18,000/- per annum**

  after confirmation of final admission at this institute